पत्रांक–01/स्था०–31(प्रा०आ०)–03/2015/....................../आ०प्र०

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

एम० रामचन्द्रुडु, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
प० चम्पारण (बेतिया)।

पटना–23, दिनांक–

विषयः– **दिनांक–25.04.2015 एवं 12.05.2015 को नेपाल में आये भीषण भूकम्प में मृत पश्चिम चम्पारण जिला के तीन व्यक्यिों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक– पत्रांक–14 दिनांक–12.02.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–25.04.2015 एवं 12.05.2015 को नेपाल में आये भीषण भूकम्प में स्व0 मदन साह एवं उनकी पुत्री स्व0 खुशबु कुमारी की मृत्यु हो गई थी। इन दोनों मृतकों के NEXT KIN (नजदीकी संबंधी) के संबंध में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्व0 मदन साह के आश्रित एवं नजदीकी परिजन स्व0 मदन साह की पत्नी मु0 बिन्दा देवी एवं पुत्र अनमोल कुमार है तथा स्व0 खुशबु कुमारी के परिजन स्व0 मदन साह की पत्नी मु0 बिन्दा देवी है, जो इनकी माँ है। अनमोल कुमार भारतीय नागरिक हैं तथा मु0 बिन्दा देवी नेपाली नागरिक है।

प्रासंगिक मामले में अनुग्रह अनुदान भुगतान के संबंध में विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा परामर्श दिया गया है कि "ऐसी परिस्थिति में चूकी मदन साह की पत्नी बिन्दा देवी नेपाली नागरिक है तब उनके पुत्र अनमोल कुमार को ही मदन साह एवं खुशबु कुमारी के नजदीकी संबंधी के आधार पर, जो भारतीय नागरिक है, को अनुग्रह अनुदान की राशि देना विधि अनुकूल प्रतीत हो रहा है।"

अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक मामले में विधि विभाग से प्राप्त उक्त परामर्शानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक......745....../आ०प्र०   पटना–23, दिनांक– 12/3/19

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार (प० चम्पारण (बेतिया) को छोड़कर)/ आई० टी० मैनेजर (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

D:\2019\Vikash Sir\मार्ग दर्शन\Letter-11-03-19.docx

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

****

पत्रांक 415 /आ0प्र0, दिनांक 05/4/19

ज्ञापांक................../दिनांक................................

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी,पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– DIO NIC मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/4/2019

अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन
मुजफ्फरपुर।

4/4/19

पत्रांक—01/गै0प्रा0आ0—01/2014/ 839 /आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,
आमोद कुमार शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,
जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

पटना—23, दिनांक— 27/3/19

विषयः— अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंगः— आपका पत्रांक—12 दिनांक—04.01.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक—11.10.2016 को गुलमोहर के पेड़ स्कूटी पर गिरने से स्कूटी पर सवार राजेश कुमार, पिता—श्री हरिहर साह, ग्राम—सूतीहारा, जिला—सीतामढ़ी की मृत्यु हो गयी थी। उक्त के क्रम में मृतक के आश्रित को अनुदान के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गयी है।

उल्लेखनीय है कि गैर प्राकृतिक आपदा में समूह कुप्रभावित होने की स्थिति में विभागीय पत्रांक—2901 दिनांक—03.10.2008 के आलोक में अनुग्रह अनुदान अनुमान्य है। उक्त घटना में समूह कुप्रभावित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है।

अतः अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

25.3.19

सरकार के अपर सचिव।

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

****

ज्ञापांक 416 / दिनांक 05/04/19

प्रतिलिपि :— अनुमण्डल पदाधिकारी,पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी अंचल अधिकारी/साभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— DIO NIC मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन
मुजफ्फरपुर।

3